एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
96/2010	09.08.2010	06.04.2015

रूनाली पुत्री गोपी पत्नि हरिलाल, जाटव निवासी कुंसाय ढाणी खोरपुरा तहसील गंगापुर सिटी

——वादिया

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र गोपी, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
2. हरीसिंह पुत्र गोपी, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
3. महेन्द्र पुत्र परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
4. राजेश पुत्र परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
5. भीमसिंह पुत्र परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
6. कल्लो बेवा परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
7. रेशम पुत्री गोपी पत्नि श्रीफल,जाटव निवासी कुंसाय ढाणी खोरपुरा
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री सीताराम गुप्ता, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की ओर से
श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 7 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता, प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 5 के बाबा, प्रतितवादिया नम्बर 6 के ससुर, प्रतिवादी नम्बर 7 के पिता गोपी का देहावसान करीब 17 वर्ष पूर्व ग्राम सालोदा में हो चुका है। वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत7 स्व0 गोपी के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं एवं गोपी द्वारा छोडी गई सम्पत्ति में अपने हिस्से अनुसार हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। गोपी की पत्नि विजया एवं गोपी के पुत्र परभात्या की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 मृतक परभात्या के उत्तराधिकारी हैं। स्वर्गीय गोपी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में स्थित है। इसमें वादिया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/5 हिस्सा है। इस भूमि का नामान्तरकरण नियमानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 के नाम उनके हिस्से अनुसार खुलना चाहिए था किन्तु राजस्व अधिकारी व पटवारी ने बिना जांच किए विधि विरूद्ध तरीके से उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 के नाम कर दी जिसकी वादिया को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 के नाम खातेदारी हो जाने की वजह से उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण स्वयं हडपना चाहते हैं जबकि उपरोक्त भूमि को वादिया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 उपरोक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने पर उतारू हो गए हैं एवं वादिया के

कि उपरोक्त भूमि को हम किसी दीगर को रहन वय कर देंगे मगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में वादिया को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में वादिया का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त आराजी ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में वादिया के हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार खुर्द–बुर्द, रहन, वय, अन्तरित नहीं करें एवं उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 8 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादिया एवं प्रतिवादिया नम्बर 7 रेशम का मृतक गोपी की छोडी गई चल व अचल सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में 1/3 हिस्सा रामेश्वर, 1/3 हिस्सा हरीसिंह व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का है। वादिया एवं प्रतिवादिया नम्बर 7 का उपरोक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। भूमि का नामान्तरकरण भी राजस्व अधिकारियों ने सही दर्ज किया है। इस इन्द्राज की जानकारी वादिया को शुरू से ही है। वादिया की शादी हरीलाल के साथ करीब 30 वर्ष पूर्व कुंसाय ढाणीं खोरपुरा में हो चुकी है तभी से वादिया अपने पति के साथ अपनी ससुराल में रहती है। वादिया ने आज तक भूमि को काश्त नहीं किया है। जब वादिया का भूमि पर कब्जा ही नहीं रहा है तो उसके काश्त में मजाहमत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादिया ने सारी बातें मनगढन्त एवं काल्पनिक रूप से दर्ज की है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादिया का आज तक भूमि पर कब्जा नहीं रहा है इसलिए कब्जे के अभाव में दावा घोषणां खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है, खारिज होने योग्य है। वादिया को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 शादी के बाद से निरन्तर तीन त्यौहारों पर बुलाते रहे हैं एवं भात–जामना देते रहे हैं । वादिया ने अपने पति के बहकावे में आकर यह झूंठा दावा पेश किया है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादिया नम्बर 7 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि स्वर्गीय गोपी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में स्थित है। इसमें वादिया का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादिया नम्बर 7 का 1/5 हिस्सा है। इस भूमि का नामान्तरकरण गोपी की मृत्यु के बाद नियमानुसार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 के नाम उनके हिस्से अनुसार खुलना चाहिए था । प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 ने तथ्यों को छिपाते हुए राजस्व अधिकारी व पटवारी से मिलकर विधि विरूद्ध तरीके से उपरोक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम ही दर्ज

जिला कलेक्टर
जयपुर सिटी

फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया आराजी खसरा नम्बर 6107 रकबा 1.20 हैक्टर वाके ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी स्व0 गोपी के खातेदारी की आराजी है और उसमें वादिया का 1/5, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/5, प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 का 1/5, प्रतिवादी नम्बर 7 का 1/5 हिस्सा है और उसी अनुसार वादिया को उसके 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने योग्य है एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किए जाने योग्य है।

2. आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है।

3. आया प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के जबाब दावा में लिए उज्रात के कारण वादिया का दावा खारिज होने योग्य है।

4. दादरसी ।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2057 से 2060 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 प्रदर्श—2 पेश किए हैं एवं बयान वादिया रूमाली पी0डब्लू0 1, बयान गवाह लखन पुत्र मूलचन्द जाटव कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी नहीं कराई गई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादिया के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि हिन्दू ला में भाई बहन का अधिकार पैत्रक सम्पत्ती में होता है। गोपी की पत्नि विजया की मृत्यु के बाद वादिया व प्रतिवादिया नं0 7 का नाम खातेदारी में आया है परन्तु गोपी की भूमि में वादिया का 1/5 हिस्सा होना चाहिए । प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है एवं बयान भी नहीं कराए हैं। भूमि पर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः वादिया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की रूलिंग के अनुसार विवाहिता पुत्री को सम्पत्ति में अधिकार नहीं है। धारा 88, 188 टीनेन्सी एक्ट के अनुसार वाद दायरी के दिन भूमिपर कब्जा होना जरूरी है। वादिया का भूमि पर वाद दायरी के दिन कब्जा नहीं था इसलिए वाद खारिज होने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में वकील प्रतिवादीगण ने न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 1999 पेज 158, आर0बी0जे0 1999 पेज 193, आर0आर0डी0 1991 पेज 426, आर0आर0टी0 2012(2) पेज 1423 प्रस्तुत किए हैं।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2057 से 2060 के अनुसार भूमि ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां गोपी पुत्र हट्टी जाटव की खातेदारी में दर्ज रही है। इसी जमाबंदी में अंकित नोट के अनुसार गोपी की मृत्यु के बाद यह भूमि रामेश्वर, हरीसिंह पिता गोपी, विजया बेवा गोपी, महेन्द्र बालिग, राजेश, भीमसिंह नाबालिग पुत्रान मोत्या सरपरस्त माता खुद कल्लो बेवा पर भात्या जाति जाटव के नाम दर्ज हुई है। नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 में अंकित नोट के अनुसार गोपी की पत्नि विजया की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के नाम दर्ज हुई है। इन जमाबन्दियों के

कलेक्टर
सिटी

पुत्रियां है तथा माता की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में वादिया एवं प्रतिवादिया नम्बर 7 के नाम भी भूमि दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु इनके नाम भूमि दर्ज नहीं हुई है। नियमानुसार वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/5 हिस्सा बनता है जो वह प्राप्त करने की अधिकारी है। जहां तक वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का प्रश्न है, इन न्याय दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होते हैं। फलस्वरूप वादिया वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में वादिया रूमाली को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी रामेश्वर को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी हरीसिंह को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी कल्लो बेवा परभात्या, महेन्द्र, राजेश, भीमसिंह पुत्रान परभात्या, महेश्वरी, सुनीता पुत्रियां परभात्या को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादिया रेशम को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पक्षकारों के नाम भूमि दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

रूमाली पुत्री गोपी पत्नि हरिलाल, जाटव निवासी कुंसाय ढाणी खोरपुरा तहसील गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र गोपी, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
2. हरीसिंह पुत्र गोपी, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
3. महेन्द्र पुत्र परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
4. राजेश पुत्र परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
5. भीमसिंह पुत्र परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
6. कल्लो बेवा परभात्या, जाटव निवासी सालोदा तहसील गंगापुरसिटी
7. रेशम पुत्री गोपी पत्नि श्रीफल,जाटव निवासी कुंसाय ढाणी खोरपुरा
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 96/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री सीताराम गुप्ता, श्री हुकमसिंह गुर्जर एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 6107 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में वादिया रूमाली को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी रामेश्वर को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी हरीसिंह को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी कल्लो बेवा परभात्या, महेन्द्र, राजेश, भीमसिंह पुत्रान परभात्या, महेश्वरी, सुनीता पुत्रियां परभात्या को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादिया रेशम को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पक्षकारों के नाम भूमि दर्ज की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.04.2015 को जारी किया गया।

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		